



वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय  
(उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अधिनियम 415/2005 द्वारा स्थापित पूर्ववर्ती उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय)  
**Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University**  
(Formerly Uttarakhand Technical University Established by Act no. 415/2005 by Uttarakhand Government)  
Chakrata Road, P.O. Chandanwadi, Premnagar, Suddhowala, Dehradun, Uttarakhand(India)  
Tel.No.0135-2774067 Website: www.uktech.ac.in

पत्रांक: 2761 / वी०मा०सि०भ०उ०प्रौ०वि०वि० / 2024

दिनांक: 22 / 11 / 2024

सेवा में,

निदेशक, फार्मसी संस्थान,  
सम्बद्ध समस्त निजी संस्थान एवं परिसर संस्थान  
वी०मा०सि०भ० उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय।

**विषय: सत्र 2024-25 हेतु संस्था स्तरीय काउंसिलिंग तथा पंजीकरण पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 25.11.2024 तक आयोजित सामान्य काउंसिलिंग / स्पॉट काउंसिलिंग के सभी चरणों की काउंसिलिंग के उपरांत भी संस्थानों में सीटें रिक्त रहने की दशा में विश्वविद्यालय द्वारा विगत वर्षों की भांति यह निर्णय लिया गया कि संस्थानों को संस्था स्तरीय काउंसिलिंग आयोजित कराये जाने का एक अवसर दिया जाये। विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में संस्थानों को 26 नवम्बर 2024 से 30 नवम्बर 2024 तक संस्था स्तरीय काउंसिलिंग ऑफलाइन मोड के माध्यम से आयोजित कराये जाने की अनुमति दी जाती है। काउंसिलिंग के आयोजन हेतु निर्धारित दिशा निर्देश / शर्तें आपको पत्र के साथ उपलब्ध कराये जा रहे हैं। समस्त संस्थानों को यह भी निर्देशित किया जाता है निर्धारित अवधि 30 नवम्बर 2024 तक नव- प्रवेशित छात्रों के प्रवेश तथा पंजीकरण का शुल्क रु 3800/- (रु 2000 Counselling Fees + रु 1500 Enrollment Fees + रु 300 Registration Fees) प्रति छात्र की दर से विश्वविद्यालय पोर्टल पर पंजीकरण के समय जमा किया जायेगा। नव- प्रवेशित छात्रों का पाठ्यक्रमों तथा संस्थानों द्वारा Extra Classes के संचालन के माध्यम से पूर्ण कराया जायेगा तथा शैक्षणिक कैलेंडर का अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

(प्रो० सत्येन्द्र सिंह)  
कुलसचिव

**प्रतिलिपि :-**

- 01 निजी सचिव कुलपति को मा० कुलपति महोदय वी०मा०सि०भ०उ०प्रौ०वि०वि०, देहरादून, के सूचनार्थ प्रेषित।
- 02 वित्त नियंत्रक, वी०मा०सि०भ०उ०प्रौ०वि०वि०, देहरादून।
- 03 परीक्षा नियंत्रक, वी०मा०सि०भ०उ०प्रौ०वि०वि०, देहरादून।
- 04 डॉ० एस०के० गोयल, प्रोफेसर, कालेज ऑफ टेक्नोलाजी, पंतनगर।
- 05 डॉ० संजय गैरोला, प्रोफेसर, जी०बी०पी०आई०टी० पौड़ी।
- 06 डॉ० राजेन्द्र कुमार भारती, एसोसिएट प्रोफेसर, बी०टी०के०आई०टी० द्वाराहाट।
- 07 श्री सुनील कुमार, स्टाफ आफिसर, वी०एम०एस०बी० यू०टी०यू० देहरादून।
- 08 बेवमास्टर को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किये जाने हेतु।
- 09 कार्यालय प्रति।

(प्रो० सत्येन्द्र सिंह)  
कुलसचिव



# वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

(उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अधिनियम 415/2005 द्वारा स्थापित पूर्ववर्ती उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय)

## Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University

(Formerly Uttarakhand Technical University Established by Act no. 415/2005 by Uttarakhand Government)

Chakrata Road, P.O. Chandanwadi, Premnagar, Suddhōwala, Dehradun, Uttarakhand(India)

Tel.No.0135-2774067 Website: [www.uktech.ac.in](http://www.uktech.ac.in) email: [help@uktech.ac.in](mailto:help@uktech.ac.in)

### फार्मसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु संस्था स्तरीय काउंसिलिंग वर्ष 2024-25 की सूचना

वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून में फैकल्टी ऑफ फार्मसी एवं निजी क्षेत्र फार्मसी कालेजों में शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु विभिन्न पाठ्यक्रमों B.PHARM, M.PHARM, PHARM\_D, & PHARM (PB) के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु संस्था स्तरीय काउंसिलिंग का कार्यक्रम निम्नवत् है :-

दिनांक 26 नवम्बर 2024 से दिनांक 30 नवम्बर 2024 तक संस्था स्तरीय काउंसिलिंग कार्यक्रम		
प्रत्येक दिवस में पंजीकरण	प्रत्येक दिवस में सीट आवंटन	प्रत्येक दिवस में संस्था में अभिलेख सत्यापन एवं प्रवेश तथा प्रवेश अभ्यर्थियों का UMS पोर्टल पर पंजीकरण, शुल्क जमा किये जाने का सत्यापन (Verify) का कार्य
9.00 AM TO 1.00 PM	2.00 PM	2.00 PM TO 5.00 PM

#### संस्था स्तरीय प्रवेश (काउंसिलिंग) हेतु दिशा-निर्देश :-

##### प्रथम वर्ष B.PHARM. में प्रवेश हेतु:-

- उच्च माध्यमिक परीक्षा (12वीं) में सम्बन्धित उच्च माध्यमिक परिषद् द्वारा निर्गत सम्पूर्ण विषयों का प्राप्ति अंक।
- जन्मतिथि (12वीं में समान प्राप्तांक प्रतिशत होने पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी)

##### प्रथम वर्ष (PHARM.D) में प्रवेश हेतु:-

- उच्च माध्यमिक परीक्षा (12वीं) में सम्बन्धित उच्च माध्यमिक परिषद् द्वारा निर्गत सम्पूर्ण विषयों का प्राप्ति अंक अथवा
- यदि डिप्लोमा इन फार्मसी उत्तीर्ण है तो डिप्लोमा प्राप्तांक प्रतिशत अंक
- सीटों के आवंटन/प्रवेश हेतु प्रथम वरीयता डिप्लोमाधारियों को दी जायेगी तत्पश्चात् 12वीं उच्च माध्यमिक परीक्षा के अंक/प्रवेश हेतु प्रथम वरीयता डिप्लोमाधारियों को दी जायेगी।
- जन्मतिथि (समान प्राप्तांक प्रतिशत होने पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।)

##### प्रथम वर्ष (PHARM.D (PB)) में प्रवेश हेतु:-

- बी०फार्म० प्राप्तांक प्रतिशत अंक
- जन्मतिथि (समान प्राप्तांक प्रतिशत होने पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।)

##### प्रथम वर्ष M.PHARM में प्रवेश हेतु

- स्नातक परीक्षा (पी०सी०आई० मानकों अनुसार) के प्रतिशत अंक।
- जन्मतिथि (स्नातक परीक्षा में समान प्राप्तांक प्रतिशत होने पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।)

नोट- एम०फार्म० पाठ्यक्रमों में GPAT के सफल अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी।

➤ उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु योग्यता परीक्षा (Qualifying Exam) तथा अर्हता (eligibility) निम्नवत् है:-

SN	COURSE	DURATION	QUALIFYING EXAM / ELIGIBILITY
1	B.PHARM-FIRST YEAR	4 Years	Candidate shall have passed 10+2 examination conducted by respective State/Central Government authorities recognized equivalent to 10+2 examination by the Association of Indian Universities (AIU) with English as one of the subjects and Physics, Chemistry, Mathematics/Biology as optional subject individually. (PCI- Ref No-154/2015-PCI/35467-501 Dated 16 Oct 2015).
2	M.PHARM-FIRST YEAR	2 Years	Candidate shall have passed B.Pharm Degree examination of an Indian University established by law in India from an institution approved by Pharmacy Council of India and has scored not less than 55% of marks.

SN	COURSE	DURATION	QUALIFYING EXAM / ELIGIBILITY
			maximum marks (50% in case of candidate belonging to reserved category) (aggregate of 4 Years of B.Pharm)
3	PHARM.D-FIRST YEAR	6 Years (5 Year Study & 1 Year of Internship or residency)	Candidate shall have Passed in 10+2 examination with Physics & Chemistry as compulsory subjects along with one of the following subjects: Mathematics or Biology. OR Candidate shall have Passed in D. Pharm. course from an institute approved by the Pharmacy council of India under section 12 of the Pharmacy Act.
4	PHARM.D (PB)-FIRST YEAR	3 Academic Years (2 years of study and 1 year of internship or residency)	Candidate shall have Passed in Bachelor in Pharmacy from an institute approved by the Pharmacy Council of India under section 12 of the Pharmacy Act.

- अभ्यर्थी को राज्य कोटे की आरक्षित सीटों में प्रवेश के लिये स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। राज्य को सामान्य श्रेणी की सीट पर प्रवेश के लिये न्यूनतम अर्हता उत्तराखण्ड से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
- सामान्य काउंसिलिंग के तीन चरणों एवं प्रथम चरण की स्पोर्ट काउंसिलिंग के उपरान्त क्षैतिज आरक्षित उपश्रेणी अभ्यर्थियों को पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात भी सीट रिक्त रहने की दशा में क्षैतिज आरक्षित उपश्रेणी (Horizontal Sub Category) की सीटों को उसी उर्ध्वाधर आरक्षित श्रेणी (Vertical Category) की ओपन (OP) में कन्वर्ट कर दी गयी हैं।
- स्ववित्त पोषित (Self Financed) निजी क्षेत्र के संस्थानों में प्रथम चरण की स्पोर्ट काउंसिलिंग के उपरान्त द्वितीय चरण की स्पोर्ट काउंसिलिंग में ऑल इण्डिया कोटा (All India Quotal) एवं राज्य कोटा (State Quota) की सीटों को अभ्यर्थियों की उपलब्धता के अनुसार परस्पर विनिमय (Interchange) कर मेरिट के आधार पर आवंटित किया जायेगा।
- अभ्यर्थियों द्वारा आरक्षण से सम्बन्धित समस्त प्रमाण पत्र उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध होना होंगे।
- रविवार एवं अवकाश के दिवसों में भी संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया गतिमान रहेगी।

विज्ञापन सं० 2762 / UTU/Pharma\_Counseling-2024 / 2024-25 दिनांक 22 नवम्बर 2024

कुलसचिव